न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00156 दायरा दिनांक : 19.06.2017

उनवान

जमनालाल पुत्र श्री रामसुख, जाति धाकड़, निवासी ग्राम कडैयानोहर, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. तुलसीराम आत्मज कंवर्या, जाति चमार, निवासी ग्राम कडैयानोहर, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 03.09.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 143/2009 निर्णय दिनांक 02.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल कडैयानोहर, तहसील छबड़ा में खाता संख्या 133 की भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2017 से वाद वादी खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2017 आर्बीट्रेरी, केप्रिसियस तथा परवर्स, गैर कानूनी है तथा कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन न कर पत्रावली में निहित साक्ष्य

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन न कर मनमाने तौर पर उक्त निर्णय पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। किसी भी प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत होने व तनकीयात विरचित होने के पश्चात ऑर्डर 20 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार उक्त प्रकरण को तनकीवाईज निर्णय पारित करना आवश्यक है, किन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प के दौरान रेस्पोडेंट कम 1 के ईशारे पर बिना पत्रावली का अवलोकन किये व कानूनी सिद्धांतों का पालना किये बगैर अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर दिये बिना ही उसका वाद मेरिट पर खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2017 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विवादित आराजीयात का बोनाफाईड परचेजर है। उसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजीयात को रेस्पोडेंट कम 1 के पिता से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से आज तक निरन्तर अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी अवस्था में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को मेंटेनेबल नहीं होना मानकर खारिज करने में भारी विधिक त्रुटि की है, जबकि उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी विरचित की हुई है, उसके आधार पर ही उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय करना चाहिए। राजस्व कैम्प के दौरान उक्त प्रकरण का निर्णय किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था और वैसे भी उक्त तिथि को उक्त पत्रावली रेस्पोडेंट कम 1 की शहादत में नियत थी और रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपनी ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई थी, ऐसी अवस्था में प्रोपर सुनवायी हेतु उक्त प्रकरण को आगामी पेशी हेतु नियमित रूप से तारीख पेशी दी जाकर कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए था, किन्तु उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रकरण का कोर्ट कैम्प में निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में तनकीयात भी कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में प्रकरण का निर्णय कर दिया। अतः हमें सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य वादी के पश्चात साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत थी। तनकीयात कायम हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.06.2017 को वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज कर दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखा गया **"कैम्प कडैयानोहर पर प्रकरण पेश हुआ। आवाज लगवाई गयी, प्रतिवादी तुलसीराम उप0 है, वादीगण उपस्थित नहीं है, प्रकरण में विचाराधीन आराजी का खातेदार प्रतिवादी है जो चमार है जो एस.सी. जाति (अनुसूचित जाति) का है, वादी ओ.बी.सी. जाति का है, अतः वाद चलने योग्य नहीं है, मेन्टेनेबल नहीं होने से वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है, फैसल केम्प कार्ट कडैयानोहर पर सुनाया गया।"**

सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में प्रत्येक तनकी का निर्णय किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी का निर्णय करना था, जो नहीं कर त्रुटि की है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को ज्ञात होता है कि वाद मेन्टेनेबल नहीं है तो भी प्रकरण का निर्णय सरसरी तौर पर करने के स्थान पर उक्त बिन्दु पर तनकी कायम कर निर्णय करना चाहिए।

विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामे के आधार पर ही प्रकरणों का निर्धारण हो सकता है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाना एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा